फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

करणाराम बनाम चूनाराम

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर 57 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.8.18	अभिभाषक अपीलांट श्री हरीश व्यास उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि वाके रोही धौलेरा मगजी के खसरा नम्बर 4 तादादी 31 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 66 तादादी 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दावा व चिर निषेघाा का प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जबकि खसरा नम्बर 4 तादादी 31 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 09–06–2015 को वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में जारी अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा को पुख्ता किया गया है। उन्होनें आगे बताया कि अदालात मातहत द्वारा दिनांक 09–06–2015 जारी आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि प्रकरण में किसी प्रकार प्रकार से गुणावगुण पर विवेचन किये बिना वाद के अंतिम निपटारे तक न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुख्ता किया गया है। अदालत मातहत द्वारा बिना विस्तृत विवेचन अंकित किये दिनांक 15–06–2009 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को पुख्ता किया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से पारित किया गया है। जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्गिडेनट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना किसी	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुसरण में अपरिहार्य था। अपीलाधीन आदेश की आड में यदि अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–06–2015 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 09–06–2015 जिसके द्वारा अदालत मातहत वादगत् भूमि के बाबत् जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुख्ता किया गया है, के विरूद्व उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में हमने पत्रावली के साथ संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकओं का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15–06–2009 को वादगत् भूमि के बाबत् मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश की अवधि निरन्तर बढ़ाई जाती रही है।

तत्पश्चात् अदालात मातहत के समक्ष पत्रावली निरन्तर उभय पक्षों की बहस हेतु निर्धारित चली आ रही थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 09–06–2015 को पुष्ट किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बिना विधि प्रकिया अपनाये ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना स्पष्ट रूप

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नियमानुसार हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया को दरकिनार करते हुए मात्र वादीगण/रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक लाभ पहँचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत का उक्त कृत्य एक प्रकार से न्यायिक प्रकिया का माखौल उड़ाने जैसा है। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्याय की यह मंशा है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा विधिक रूप से व प्रकिया को अपनाते हुए किया जावे ताकि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में जाने से बचाया जा सके। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न्याय का गला घोटतें हुए व न्यायिक प्रकिया का अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) बीकानेर का आदेश दिनांक 09–06–2015 निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner